भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 401

दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर के लिए

गैर-सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को दिए गए वित्तीय अनुदान

***401. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और पोषण जागरुकता से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और समुदाय आधारित संगठनों को शामिल करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत और निर्गत अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत समर्थित एनजीओ और एसएचजी की संख्या कितनी-कितनी और इस वित्तीय सहायता के अंतर्गत उनके द्वारा किस प्रकार के कार्यकलाप किए गए हैं; और

(घ) इन अनुदानों के उपयोग की निगरानी करने और सामुदायिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यप्रणाली अपनाई गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है।

'गैर-सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को दिए गए वित्तीय अनुदान' के संबंध में श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक द्वारा पूछे गए दिनांक 01.04.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्यसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 401 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीधे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करता है। यह गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तथा समुदाय आधारित संगठनों को कोई निधि जारी नहीं करता है।
